प्रेस नोट दिनांक 12–05–2019

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 133/19 धारा 392,411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को लूट के 15,600/–रुपये नकद, व एक अवैध तमंचा .315 बोर सहित किया गया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि दिनांक 01–05–2019 को डा0 दिनेश राय निवासी बंगाली क्लीनिक नकुड़ रोड़ थाना सरसावा, सहारनपुर, के साथ लूट की घटना हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 139/2019 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना का अनावरण करते हुये थाना सरसावा पुलिस द्वारा दिनांक 06–05–2019 को 03 अभियुक्त नदीम, इकबाल, मौ0 भूरा को जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 12–05–2019 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री यतेन्द्र सिंह नागर के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बोन्सा पुलिया से वांछित अभियुक्त 1–कौसीद पुत्र शौकत निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा, सहारनपुर को लूट के 15,600/–रुपये नकद, व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के 03 अन्य साथी पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–कौसीद पुत्र शौकत निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–लूट के 15,600/–रुपये नकद।

2–एक अद्द अवैध तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी जो पूर्व में जेल जा चूके हैं के साथ मिलकर दिनांक 22–04–19 को अगवानहेड़ा से एक व्यक्ति से 87,710/रुपये छीने थे तथा दिनांक 01–05–2019 को नकुड़ रोड़ से एक क्लीनिक से डाक्टर से 13,500/–रुपये लूटे थे। यह बरामद रुपये इन्ही लूट के है, उक्त घटना को कारित करने के लिये अभियुक्त इकबाल ने मोटर साइकिल उपलब्ध करायी थी। जिससे हम लूट की घटना कारित करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरणः–

1–श्री सुदेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री राजकुमार यादव थाना सरसावा, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर।

4–है0का0 221 संजीव कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर।

5–का0 802 सौरव धामा थाना सरसावा, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 12–05–2019

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 04 शातिर अभियुक्तों को अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार :–

अवगत कराना है कि जनपद में अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अर्न्तगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री रामशरण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12–05–2019 की रात्रि 02.30 बजे थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम छछरौली से चोरी की योजना बनाते हुए 04 शातिर अभियुक्त 1–रहीम पुत्र आदिल निवासी मौ0 आलमपुर कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर 2–साजिद पुत्र कय्यूम निवासी मछली वाला तालाब टंकी के पास कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर 3–पहमान पुत्र रफीक निवासी मौ0 भूतनाथ कस्बा व थाना पहलानी जिला झूझनू, राजस्थान 4–मुनफैत पुत्र शफीक निवासी गांव छछरौली थान नानौता, सहारनपुर को एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 150/19 धारा 398, 401 भादवि, मु0अ0सं0 151/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु0अ0सं0 152/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 153/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पतेः–

1–रहीम पुत्र आदिल निवासी मौ0 आलमपुर कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर।
2–साजिद पुत्र कय्यूम निवासी मछली वाला तालाब टंकी के पास कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर।
3–पहमान पुत्र रफीक निवासी मौ0 भूतनाथ कस्बा व थाना पहलानी जिला झूझनू, राजस्थान।
4–मुनफैत पुत्र शफीक निवासी गांव छछरौली थान नानौता, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1– एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।
2– 02 अद्द अवैध चाकू।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग आस–पास के गांव व कस्बो में बाहरी साईड एकान्त वाले मकानों में चोरी, डकैती व लूटपाट करते हैं। आज भी हम चोरी की योजना बना रहे थे कि पुलिस द्वारा पकडे गये। अभियुक्त साजिद पंजाब एवं उत्तराखण्ड व जनपद मुजफ्फरनगर से डकैती के अभियोगो में पूर्व में जेल जा चुका है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–उ0नि0 श्री मनोज चौधरी थानाध्यक्ष नानौता, सहारनपुर।
2–उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री जयसिंह भाटी थाना नानौता, सहारनपुर।
4–है0का0 461 राजीव कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।
5–है0का0 437 ज्ञानवीर सिंह थाना नानौता, सहारनपुर।
6–का0 989 रजनीश कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 12—05—2019

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी के 3200 रूपये नकद , 01 मोबाईल फोन व एक अवैध तमंचा .315 बोर सहित किया गिरफ्तारः—

अवगत कराना है कि दिनांक 07—05—2019 को वादी सचिन पुत्र प्रमोद राणा निवासी रतनपुर कल्याणपुर कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीरी सूचना देते हुये बताया गया कि गांव रतनपुर कल्याणपुर से भैंस देखने के बहाने दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरी घेर में रखी शर्ट में से 4400 रूपये नकद व मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का चोरी किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 144/19 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी बेहट द्वारा टीम गठित कर उपरोक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1—फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी रेडी मोहिद्दीपुर थाना बेहट, सहारनपुर 2—इस्तकार पुत्र सत्तार निवासी ग्राम घाना खंडी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर को आज दिनांक 12—05—2019 को कलसिया तिराहा से 3200 रूपये नकद, एक मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का चोरी किये हुये व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 145/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के हैं जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :—

1—फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी रेडी मोहिद्दीपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

2—इस्तकार पुत्र सत्तार निवासी ग्राम घाना खंडी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः—

चोरी के 3200 रूपये नकद ।

चोरी का एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का

एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरणः—

1—प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण पाल सिंह थाना बेहट,सहारनपुर।

2—उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बेहट,सहारनपुर।

3—उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बेहट,सहारनपुर।

4—है0का0 राजेन्द्र सिंह थाना बेहट,सहारनपुर।